

DECLARATION AND CONSENT OF PARENTS FOR SENDING THEIR WARDS IN
VIDYALAYA

PART-A

Name of Student: Class & Section:

Name of Father/Mother: Contact No of Father/Mother:

Dear Parents,

As you are aware that state authorities of Uttarakhand have allowed re-opening of schools with effect from 2nd November 2020 by observing SOP as released by state authorities from time to time. In this regard parents have to give a consent letter in writing to the Vidyalaya before sending their wards to school. Parents must ensure that their ward is physically fit and has no medical issue which is infectious in nature and also monitor the same on day to day basis before sending their wards to schools. If any medical issues/symptoms are observed/developed in your ward, you must intimate Vidyalaya authorities immediately and must refrain from sending your ward to Vidyalaya so as to prevent further spread of the disease and to safeguard other students and teachers.

PART-B

1.	Is your ward experiencing any of the following symptoms:	YES/NO
	(a) Cough	
	(b) Fever	
	(c) Difficulty in breathing	
2.	Does your ward have any of the following medical issues:	
	(a) Diabetes	
	(b) Hypertension	
	(c) Lung Disease	
	(d) Heart Disease	
3.	Has your ward recently travelled to containment zone as declared by concerned state authorities?	
4.	Is there any Covid-19 positive member in your family? If Yes give details separately.	

PART-C

I (Name of parents) hereby give consent to send my above mentioned son/daughter to vidyalaya as per time table framed by the Vidyalaya. Further it is my responsibility to arrange proper transportation (to & fro) for my ward to attend vidyalaya. I also assure that my ward will follow SOP (use of mask, sanitizers & gloves etc) framed by Vidyalaya & government as well as to safeguard from COVID-19. There will no sharing of eatables and stationery by my ward.

Date:

Name of Father/mother

Signature of Father/mother:

Note: Even if your ward is unable to attend Vidyalaya in person, online education will continue.

विद्यालय खोलने से पूर्व विद्यार्थियों को विद्यालय आने के सम्बन्ध में अभिभावकों की सहमति एवं घोषणा

भाग-अ

विद्यार्थी का नाम : कक्षा एवं वर्ग :

माता/पिता का नाम : माता/पिता का दूरभाष न० :

प्रिय अभिभावक गण ,

जैसाकि आपको विदित है कि उत्तरखंड सरकार ने 02 नवम्बर 2020 से विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी एस०ओ०पी (SOP) की अनुपालना करते हुए खोलने की अनुमति प्रदान की है। इस सम्बन्ध में अपने पाल्यों को विद्यालय भेजने से पूर्व एक लिखित सहमति पत्र विद्यालय को देना अनिवार्य है। अभिभावक अपने पाल्यों को विद्यालय भेजने से पूर्व इस बात से संतुष्ट हो जाये कि आपके पाल्य का शारीरिक स्वास्थ्य (बीमारी आदि) बिल्कुल ठीक है एवं इसकी प्रतिदिन जाँच करते रहें। यदि आपके पाल्य के स्वास्थ्य में कोई अवांछनीय बदलाव हो रहा है अथवा कोई फ्लू के लक्षण हों, तो तत्काल डॉक्टर की सलाह लेवें एवं इसकी सूचना तत्काल विद्यालय को भी देवें तथा अपने पाल्य को विद्यालय ना भेजें। जिससे अन्य विद्यार्थी एवं शिक्षक के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े।

भाग-ब

1.	क्या आपके पाल्य निम्न में से कोई बीमारी/लक्षण है :	YES/NO
	(a) कफ/Cough	
	(b) बुखार/Fever	
	(c) साँस लेने में तकलीफ/Difficulty in breathing	
2.	क्या आपके पाल्य को निम्न में से कोई बीमारी है :	
	(a) मधुमेह/Diabetes	
	(b) उच्च रक्तचाप/Hypertension	
	(c) लीवर संबंधी बीमारी/Lung Disease	
	(d) हृदय संबंधी बीमारी/Heart Disease	
3.	क्या आपके पाल्य ने हाल ही में किसी कोविड-19 हेतु राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र की यात्रा की है?	
4.	क्या आपके परिवार में कोई सदस्य कोविड-19 से संक्रमित (Covid-19 positive) है? यदि हाँ, तो अलग से पूर्ण विवरण देवें।	

भाग-स

मैं श्री/श्रीमति (अभिभावक का नाम) एतद् द्वारा अपनी सहमति प्रदान करता/करती हूँ कि मैं अपने उपरोलिखित पाल्य को विद्यालय द्वारा जारी समय-सारिणी के अनुसार विद्यालय भेजने हेतु तैयार हूँ। साथ ही अपने पाल्य हेतु विद्यालय आने-जाने का प्रबंध मैं स्वयं करूँगा। मैं यह वचन देता हूँ कि मेरा पाल्य विद्यालय खोलने हेतु विद्यालय एवं राज्य सरकार द्वारा जारी एस०ओ०पी (SOP- मास्क, दास्ताने, सेनिटाइजर का उपयोग) की अनुपालना एवं कोविड-19 हेतु जारी निषेधात्मक दिशा-निर्देशों की अनुपालना करेगा। मेरा पाल्य खाने-पीने के वस्तु या वस्तुओं का अन्य विद्यार्थियों के साथ आदान-प्रदान नहीं करेगा।

दिनांक :

माता/पिता का नाम :

माता/पिता के हस्ताक्षर :

नोट: यदि आपका पाल्य विद्यालय आने में असमर्थ है अथवा आप विद्यालय भेजने से असहमत हैं, तो भी विद्यालय में ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन पूर्ववत चलता रहेगा।